

**न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,**  
**जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-765/2015

संस्थित दिनांक-18.08.2015

फाईलिंग नं.-234503008792015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

1. घनश्याम पिता सिरदार धुर्वे, उम्र 36 साल, जाति गोण्ड,  
 निवासी ग्राम किनारदा (मसनाटोला) थाना रूपझर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2. अमरसिंह पिता घनश्याम धुर्वे, उम्र 22 साल, जाति गोण्ड,  
 निवासी ग्राम किनारदा (मसनाटोला) थाना रूपझर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.) (पूर्व निर्णीत)

- - - - - आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-22/01/2016 को घोषित)

1- आरोपी घनश्याम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324, 506(भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-04.08.2015 को सुबह के 07.00 बजे स्थान ग्राम किनारदा प्रार्थी का खेत थाना रूपझर के अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी सोनसिंह धुर्वे को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत सोनसिंह धुर्वे को दतारी के खुटे से एवं हाथ-मुक्के से मारपीट कर तथा दांत से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की व फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी सोनसिंह धुर्वे ने दिनांक-04.08.2015 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम किनारदा के मसनाटोला में रहता है तथा कृषि मजदूरी का काम करता है। दिनांक-04.08.2015 को सुबह 07.00 बजे वह अपने खेत में

काम करने गया था तथा उसका छोटा भाई घनश्याम एवं घनश्याम का लड़का अमरसिंह धुर्वे भी अपने खेत में काम कर रहे थे कि उसका छोटा भाई घनश्याम उसके पास आया और उससे बोला कि तु अपनी पत्नी फुलवती बाई को रात्रि में क्या गाली दे रहा था तो उसने बोला कि उसने अपनी पत्नी को गाली दिया है तो उसे कैसे मालूम इसी बात पर से उसके भाई घनश्याम ने उसे मादर चोद, बहनचोद की गन्दी-गन्दी गालिया दी उसने गालिया देने से मना किया तो खेत में रखी दतारी के खूटे (लकड़ी का) से उसके बांये पैर के घुटने के नीचे मारा जिससे वह जमीन पर गिर गया तो उसका भाई घनश्याम उसके सीने पर बैठ गया फिर दांत से बांये सीने पर काट दिया और उसके पैर से खून निकल रहा था एवं घनश्याम के लड़के अमरसिंह ने भी हाथ-मुक्के से उसके साथ मारपीट की और उससे बोला कि आज तो तुझे छोड़ देता हूँ अगली बार तुझे जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र रूपझर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-123/15, धारा-294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 324, 506, 34 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत सोनसिंह धुर्वे ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 506(भाग-2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का विचारण पूर्ण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी घनश्याम ने दिनांक-04.08.2015 को सुबह के 07.00 बजे स्थान ग्राम किनारदा प्रार्थी का खेत थाना रूपझर के अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी सोनसिंह धुर्वे को दांत से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-**

5— फरियादी/आहत सोनसिंह धुर्वे (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि आरोपी घनश्याम उसका भाई है तथा आरोपी अमरसिंह उसका भतीजा है। घटना उसके कथन से लगभग चार-पांच माह पूर्व सुबह 07.00 बजे उसके खेत की है। घटना दिनांक को आरोपी घनश्याम एवं आरोपी अमरसिंह उसके खेत में आये और उसे गन्दी-गन्दी गालियाँ देते हुये मौखिक वाद-विवाद करने लगे तो उसने थाना रूपझर में आरोपीगण के विरुद्ध गाली-गलौच दिये जाने की रिपोर्ट की थी जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के समय पुलिस ने उसका कोई ईलाज नहीं करवाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी घनश्याम ने उसे रखे दतारी के खूटे से उसके बांये पैर के घुठने के नीचे मारा था जिससे वह जमीन पर गिर गया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी घनश्याम उसके सीने पर बैठ गया था और दांत से सीने पर काट दिया था एवं आरोपी अमरसिंह ने उसके साथ हाथ-मुक्के से मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट में यह लिखाया था कि आरोपी घनश्याम ने उसे बांये सीने पर दांत से काट दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उक्त दांत से काटने के संबंध में पुलिस ने उसका शासकीय अस्पताल बालाघाट में मुलाहिजा भी करवाया था एवं उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन देते समय आरोपी घनश्याम के द्वारा दांत से काटने वाली बात लिखायी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह दांत से काटने वाली बात को छुपा रहा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका मात्र मौखिक वाद-विवाद हो गया था एवं आरोपी घनश्याम ने उसे दांत से नहीं काटा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को दांत से काटे जाने के संबंध में रिपोर्ट नहीं की थी मात्र गाली-गलौच के संबंध में रिपोर्ट की थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6- प्रकरण में अभियोजन ने फरियादी/आहत सोनसिंह धुर्वे (अ.सा.1) की साक्ष्य करायी गई है इसके अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी/आहत सोनसिंह धुर्वे ने स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। आहत सोनसिंह धुर्वे के द्वारा अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि घटना के समय आरोपी घनश्याम ने तथाकथित रूप से दांत से काटकर उसके साथ मारपीट की थी जिस कारण उसे उपहति कारित हुई। साक्ष्य के अभाव में आरोपी घनश्याम के विरुद्ध कथित दांत से काटकर आहत सोनसिंह धुर्वे को स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

7- उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी घनश्याम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादी सोनसिंह धुर्वे को दांत से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी घनश्याम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

8- आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

9 प्रकरण में जप्तशुदा एक लकड़ी की उभारी (दतारी का खुटा) मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट